सहायता अनुदानों के तहत समुद्र विज्ञान के लिए बुनियादी अनुसंधान, अनुप्रयोग क्षेत्रों तथा जनशक्ति

विकास कार्यक्रमों संबंधी

स्कीमों

के लिए

अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के लिए फार्मेट

भारत सरकार
महासागर विकास विभाग
ब्लॉक-12, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003

जनवरी- 2005

1. प्रस्तावना

1. समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास अन्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है । अनुसंधान प्रयासों से , मौलिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और इनसे भावी क्षमताएं सुनिश्चित होनी चाहिएं । विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक प्रौद्योगिकी है । ऐसी प्रौद्योगिकियों में आत्म निर्भर बनने के लिए इनका देश में ही व्यापक रुप से विकास तथा परीक्षण करके इनका प्रचालन करना होगा । कुछ नई प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकीकरण करके इन्हें लागत प्रभावी बनाना होगा। आत्म निर्भर प्रौद्योगिकीय आधार तैयार करने के लिए पूर्व प्रशिक्षित कार्मिकों की भारी आवश्यकता होती है और ऐसी अवसंरचना तथा सुविधाएं तैयार करनी होंगी जो सही ढंग से योजनाबद्ध हों । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए महासागर विकास विभाग ने समुद्री अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को फिर से तैयार किया है, और उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों/आईआईटी में 9 समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेल में स्थापित किए हैं ।

II कार्यक्रमों के उद्देश्य :

क. समुद्री भूविज्ञान और भूभौतिकी, समुद्री पारितंत्र, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री सूक्ष्मजीवविज्ञान, समुद्री तटीय संवर्धन, समुद्री नितलस्थ जीव, बीच प्लेसर, अंतर्जल रोबोटिक्स के अंतर्गत समुद्री इंजीनियरी के उभरते हुए नए तथा प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना ।

ख. औद्योगिक साझेदारी से परियोजनाएं शुरु करने के लिए अनुसंधान संगठनों, संस्थाओं, आईआईटी, विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना ।

ग. विश्वसनीय डाटा और सूचना प्रणाली तैयार करना ।

घ. समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जन शक्ति तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/संगठनों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार करना /उन्हें सुदृढ़ बनाना ।

III. फार्मेट :

इस दस्तावेज में महासागर विकास विभाग के समुद्री अनुसंधान और जनशक्ति विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट और दिशा निर्देश दिए गए हैं । इसके निम्नलिखित भाग हैं :

I. अनुप्रयोग और बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री अनुसंधान हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रोफार्मा (खंड -क)

II. समुद्री जनशक्ति विकास कार्यक्रमों के लिए प्रोफार्मा (भाग-ख)

III. परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश (भाग-ग)

टिप्पणी : समुद्री अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों के लिए भाग-ख को भरने की जरुरत नहीं है, और जनशक्ति विकास कार्यक्रमों के लिए भाग-क की जरुरत नहीं है ।

IV. पावती और पूछताछ :

अनुलग्नक- I में बताए अनुसार अपने-अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के सभी कागजातों सहित प्रस्ताव की प्रतियां अनुसंधान समन्वयकर्त्ता, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेल को भेजें और इसकी प्रति निदेशक, समुद्री अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रम, भारत सरकार, महासागर विकास विभाग, ब्लॉक-12, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-3 (टेलि. 011-24360865/ 243642278/24364182 फैक्स : 011- 24360336/ 24360779) को प्रेषित करें ।

अनुसंधान समन्वयकर्ता एक माह के भीतर परियोजना प्रस्ताव प्राप्ति की विधिवत रुप से सूचना देगा ।   प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छ: माह के भीतर पावती प्राप्त न होने पर निदेशक, महासागर विकास विभाग को परियोजना का विषय, प्रमुख निरीक्षक का नाम आदि बताते हुए उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है । परियोजना की स्थिति के बारे में पूछताछ ओएसटीसी द्वारा दिए गए नम्बर की तारीख से छ: महीने बाद परियोजना शीर्षक बताकर प्राप्त की जा सकती है ।

<u>खंड- क</u>

<u>समुद्री अनुसंधान (बुनियादी विज्ञान एवं अनुप्रयोग) कार्यक्रम :</u>

(प्रधान अन्वेषक द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना का नाम :

2. प्रधान अन्वेषक का नाम :
3. पत्राचार का पता, पिन कोड :
4. फोन नं. और फैक्स नं. :

	एसटीडी कोड	फोन नं.
(कार्यालय)		
(आवास)		
(फैक्स)		

5. ई-मेल :

II. पावती रसीद

(समुद्र अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए बुनियादी विज्ञान और अनुप्रयोग**)**
(महासागर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा भरा जाए)

फाइल नं. : महासागर विकास विभाग /11-एमआरडीएफ/ / / / 20..
दिनांक ______

1. परियोजना का नाम :

2. प्रधान अन्वेषक का नाम :

महोदय,

यह उपर्युक्त परियोजना प्रस्ताव की पावती रसीद है । कृपया अपने आगामी पत्र में परियोजना प्रस्ताव की फाइल संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करें । भारत सरकार, महासागर विकास विभाग के सचिव, परियोजना प्रस्तुत करने में आपकी रुचि से प्रसन्न हैं । इस विषय पर अंतिम निर्णय यथासमय आपको सूचित कर दिया जाएगा ।

निदेशक
(समुद्री अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रम)
महासागर विकास विभाग
भारत सरकार
ब्लॉक-12, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003

महासागर विकास विभाग
(समुद्र विज्ञान कार्यक्रमों में बुनियादी अनुसंधान, अनुप्रयोग क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रोफार्मा)

1. फाइल सं. महासागर विकास विभाग /11-एमआरडीएफ/………/……../20

2. परियोजना का प्रकार _______________ बुनियादी अनुसंधान/ अनुप्रयोग _____________

III वैज्ञानिक/तकनीकी सूचना :

एस1. नाम
- (क) परियोजना का पूरा नाम :
- (ख) संदर्भ के लिए छोटा नाम :

एस2. मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र :

एस3. उप क्षेत्र :

एस4. समस्या का विवरण (बिन्दुवार 100 शब्दों में उल्लेख करें)

एस5. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि (बिन्दुवार 150 शब्दों में उल्लेख करें):

एस6. उद्देश्य (बिन्दुवार 100 शब्दों में उल्लेख करें):

एस7. तर्कसंगतता (बिन्दुवार 200 शब्दों में उल्लेख करें) :

एस8. महत्व (बिन्दुवार 100 शब्दों में उल्लेख करें) :

एस9. अपनाई जानेवाली कार्यपद्धति (बिन्दुवार 150 शब्दों में उल्लेख करें) :

एस10. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति (पूर्ण ब्यौरा) और राष्ट्रीय स्थिति (पूर्ण ब्यौरा) :

एस11. भारत में अन्य संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों / संगठनों और महत्वपूर्ण विदेशी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ संगठनों में इसी प्रकार के क्षेत्रों में चल रहे कार्य का संक्षिप्त विवरण

एस12. अवधि

एस13. विशिष्ट कार्य घटक और उनकी समय सारणी (बार चार्ट पर)

एस14. नौका प्रयोग के लिए अपेक्षित समय (यदि कोई हो), संचालन क्षेत्र और डाटा एकत्र करने आदि के लिए प्रस्तावित समयावधि - (विस्तृत रुप से)

एस15. अपेक्षित प्रोटोटाइप/ पायलट संयंत्र, यदि कोई हो (पूरा ब्यौरा)

एस16. परियोजना आउटपुट की प्रत्याशित उपयोगिता (कृपया ब्यौरा दें)

एस17. इस परियोजना से अपेक्षित पीएचडी, एमफिल आदि

एस18. अपेक्षित मूल मदें यदि कोई हों (पूरा ब्यौरा)

IV बजट :

ख1. परियोजना की कुल लागत (रुपयों में)

ख2. ख1 में शामिल किए जाने के लिए विदेशी मुद्रा की मात्रा (प्रति डॉलर रु. की दर से रुपयों में)

ख3. बजट आकलन (सारांश)

(रुपयों में)

क्रम सं.	मद का नाम	कोष्ठकों में वित्तीय आकलन की मात्रा दर्शाएं					
		पहला वर्ष (वित्तीय आकलन)	दूसरा वर्ष (वित्तीय आकलन)	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवा वर्ष	अभ्युक्ति
1.	जनशक्ति						
2.	उपभोज्य						

3. आकस्मिक व्यय
4. यात्रा
5. उपस्कर
6. जहाज के प्रयोग में लगने वाला समय, डाटा एकत्रण आदि
7. अन्य लागत
8. संस्थागत उपरि प्रभारों के रुप में कुल लागत का 15 प्रतिशत (उपकरणों को छोड़कर)
9. कुल

कुल लागत (रु. शब्दों में)________________________________(वित्तीय आकलन)

स्वीकृत हो जाने की स्थिति में परियोजना आरंभ करने के लिए संभावित समय का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह की अवधि ध्यान में रखी जाए ।

ख4. बजट का ब्यौरा

ख4.1 जनशक्ति

ख4.1(i) संस्थान / विश्वविद्यालय/ संगठन द्वारा की गई वचनबद्धता :
पदनाम, व्यक्ति- माह सहित जनशक्ति की संख्या आदि:

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्य	व्यक्ति माह

कुल :

ख4.1.(ii) अवसंरचनात्मक सुविधाएं और अन्य प्रावधान

ख4.1 (iii) प्रस्तावित जनशक्ति के ब्यौरे (कृपया अर्हता आदि का उल्लेख करें) :

(रुपयों में)

क्रम सं.	प्राप्त स्थान	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल	अभ्युक्तियाँ

ख 4.1(iv) प्रत्येक प्राप्त स्थान का विस्तृत औचित्य

ख4.2 उपभोज्य :

ख4.2(i) ब्यौरा :

(रुपयों में)

क्रम सं.	मद का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल	अभ्युक्तियाँ

ख4.2.(ii) प्रत्येक मद का औचित्य :

ख 4.3 आकस्मिक व्यय

ख4.3(i) ब्यौरा

(रुपयों में)

क्रम सं.	मद का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल	अभ्युक्तियाँ

ख4.3(ii) प्रत्येक मद का औचित्य

ख4.4. यात्रा अनुदान:

ख4.4(i) ब्यौरा

(रुपयों में)

क्रम सं.	मद का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल	अभ्युक्तियाँ

ख4.4(ii) प्रस्तावित यात्रा का ब्यौरा तथा औचित्य :

ख4.5 उपस्कर

ख 4.5(i) बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपस्कर जो संस्थान /विश्वविद्यालय/संगठन द्वारा परियोजना के लिए प्रदान किए जाएंगे

(क) अनुसंधान दल में उपस्कर

(ख) विभाग में उपस्कर

(ग) महासागर विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों अथवा आपके संस्थान के केन्द्रों अथवा उस क्षेत्र में, जिसमें शामिल किए जा सकने वाले क्षेत्रीय अत्याधुनिक संस्थान/ केन्द्र शामिल हैं वित्त पोषित अन्य उपयोगी उपकरण

(रुपयों में)

क्रम सं.	उपस्कर का नाम	किस वर्ष में प्राप्त किया गया	अनुमानित लागत	स्थिति	अभ्युक्तियाँ

क्रम सं.	उपस्कर विवरण	तकनीकी विनिर्देश	कितने समय तक उपलब्ध	अभ्युक्तियाँ

ख4.5 (ii) प्रस्तावित उपस्कर

(रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण तकनीकी विनिर्देश	नाम और आपूर्तिकर्त्ता का पता	स्वदेशी या आयातित	अनुमानित लागत	विदेशी मुद्रा की मात्रा	अभ्युक्तियाँ

ख4.5 (iii) प्रत्येक संघटक का औचित्य

ख4.6 नाव किराए पर लेना, नमूने एकत्र करना आदि

ख4.6(i) जहाज पर रहने का अनुमानित समय :

ख4.6(ii) बजट :

(रुपयों में)

क्रम सं.	मद का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल	अभ्युक्तियाँ

ख4.6(iii) प्रत्येक मद का औचित्य :

V व्यक्तिगत सूचना

पी1 मुख्य अन्वेषणकर्त्ता का नाम और पता तथा फैक्स, टेलेक्स, टेलिफोन नं. ई मेल आदि

पी2 सहअन्वेषकों का नाम और पता तथा फैक्स, टेलेक्स, टेलिफोन, ईमेल:

पी3 प्रस्तावित परियोजना के लिए कार्य स्थल

पी4 मुख्य अन्वेषक और सह- अन्वेषकों का संक्षिप्त ब्यौरा (अलग-अलग दिया जाए)

i) नाम ii) जन्म तिथि

iii)संस्था पता :

गली नगर :

राज्य: पिन

टेलिफोन नं. : फैक्स नं. :

टेलेक्स नं. ई-मेल :

iv. शैक्षिक एवं व्यावसायिक विवरण (एम.एस.सी और उससे आगे)

क्रम सं.	डिग्री का नाम	संस्थान का नाम	रैंक और वर्ष पुरस्कार का स्थान	विशेषज्ञता	अभ्युक्तियाँ

v. अन्वेषक द्वारा जीते गए पुरस्कार/ इनाम/ प्रमाण पत्र आदि

vi. प्रकाशन (ब्यौरा)

(क) पुस्तकें

(ख) प्रकाशनों की सूची (प्रेषित लेखों सहित)

क्रम सं.	लेख का शीर्षक	सहलेखक	पत्रिकाओं के नाम एवं संख्या	वर्ष	पृष्ठ सं. ...... से ...तक	अभ्युक्तियाँ

vii. पेटेन्ट और अन्य (कृपया उल्लेख करें)

क्रम सं.	मद का नाम	विवरण	वर्ष	अभ्युक्तियॉ

viii. अन्वेषकों द्वारा पूरी की गई अनुसंधान परियोजना (परियोजनाओं) का ब्यौरा (भारत सरकार, राज्य सरकार, अन्य संगठनों से वित्त पोषण)

क्रम सं.	परियोजना का शीर्षक	वित्तपोषण एर्जेसी का नाम	कुल लागत	कार्य प्रारंभ करने की अवधि , वर्ष	कार्य का स्थान स्थिति	अभ्युक्तियाँ

(कृपया प्रत्येक परियोजना के उद्देश्य, परिणाम, बकाया उपलब्धियों का सार और टिप्पणियों का उल्लेख करें)

ix. वित्तपोषण एजेंसी का नाम

x. परियोजना का सार

xi. सभी चालू परियोजनाओं के लिए अब तक की प्रगति का उल्लेख करें (100 शब्दों में) । परियोजना से प्राप्त प्रमुख परिणामों का भी उल्लेख करें (200 शब्दों में)

VI मुख्य अन्वेषक से प्रमाण पत्र

(विभाग के सरकारी पत्र-शीर्ष पर दिया जाए)

परियोजना शीर्षक : ____

1. हम महासागर विकास विभाग की अनुदान संबंधी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हमने वित्तीय सहायता के लिए इस या ऐसे किसी परियोजना प्रस्ताव को कहीं और प्रस्तुत नहीं किया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि हमने यह पता लगाया और सुनिश्चित किया है कि परियोजना के प्रयोजन से जब कभी भी जरुरत होगी, उपकरण और मूलभूत सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध होंगी। प्रमाणित किया जाता है कि इन मदों की प्राप्ति के लिए इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था ।
4. प्रमाणित किया जाता है कि हम वचन देते हैं कि स्थायी उपकरण को खाली समय में अन्य प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा ।
5. अनुलग्नक निम्नलिखित हैं :- क) संस्था प्रमुख का पृष्ठांकन (ख) प्रस्तावों के ब्यौरे की 6 प्रतियां (ग) खंड ' क ' की क्रम सं. III और क्रम सं. iv की 6 प्रतियां, और (घ) संस्थान/ विश्वविद्यालय/संगठन से प्रमाण पत्र ।
   1. अन्वेषक का नाम एवं हस्ताक्षर
   2. पहले सह अन्वेषक का नाम और हस्ताक्षर
   3. दूसरे सह- अन्वेषक का नाम एवं हस्ताक्षर
   4. विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

तारीख :____________

स्थान ____________

VII संस्था प्रमुख का पृष्ठांकन

(सरकारी पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
महासागर विकास विभाग,
ब्लॉक-12, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003

महोदय,

______________________________ शीर्षक की परियोजना संलग्न है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन परियोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए मुख्य अन्वेषक के रुप में डॉ./श्री/श्रीमती/कुमारी…………………… और (i) सह अन्वेषक के रुप में डॉ./श्री/श्रीमती/कुमारी…………………………… तथा दूसरे सह अन्वेषक के रुप में डॉ. श्री/श्रीमती/कुमारी……………………… की भागीदारी को प्रसन्नता से स्वीकार करता है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मुख्य अन्वेषक द्वारा अचानक काम छोड़ देने की स्थिति में महासागर विकास विभाग के अनुमोदन से परियोजनाओं को अच्छी तरह पूरा करने की जिम्मेदारी अन्य प्रकार से पात्र अन्वेषक को सौंपी जाएगी ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/ विश्वविद्यालय/ संगठन परियेाजना की स्वीकृति से संबंधित शर्तों का पालन करेगा ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान की शर्तों के अनुसार परियोजना की समपूर्ण अवधि के लिए अन्वेषकों को उपकरण, अन्य मूलभूत सुविधाएं और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं दी जाएगी ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन परियोजना का वित्तीय और अन्य प्रबंधन संबंधी उत्तरदायित्व उठाने का आश्वासन देता है ।

संस्था/संगठन/ विश्वविद्यालय प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :
स्थान :

टिप्पणियां : विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत आने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं/ प्रयोगशालाओं से आने वाले अनुसंधान प्रस्तावों के संबंध में, संस्था प्रमुख को औचित्व देना होगा जिसमें स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया जाएगा कि क्या अनुसंधान प्रस्ताव संस्था के सामान्य अनुसंधान कार्यकलापों के अनुरुप हैं और यदि नहीं तो वे वैज्ञानिक कारण बताएं जिनके आधार पर उन प्रस्तावों पर महासागर विकास विभाग द्वारा विचार किया जाना है ।

खंड- ख

समुद्री अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए जनशक्ति विकास :-
(पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना का नाम :
2. अनुसंधान फेलो का नाम :
3. पत्र-व्यवहार का पता :
4. पर्यवेक्षक का नाम :
5. पत्र-व्यवहार का पता, पिन कोड:
6. फोन नं. और फैक्स नं. :

	एसटीडी कोड	फोन नं.
(कार्यालय)		
(आवास)		
(फैक्स)		

7. ई-मेल :

------------◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

II. पावती रसीद

(समुद्री जनशक्ति विकास कार्यक्रमों के लिए **)**

(महासागर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा भरा जाए)

फाइल नं. : महासागर विकास विभाग /11-एमएमडीपी / / / / 20..   दिनांक _______

1. परियोजना का नाम :

2. अनुसंधान फेलो का नाम :

3. पर्यवेक्षक का नाम :

महोदय,

उपर्युक्त परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो गया है । कृपया अपने भावी पत्र में परियोजना प्रस्ताव की फाइल संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करें। भारत सरकार, महासागर विकास विभाग के सचिव को प्रसन्नता है कि परियोजना प्रस्तुत करने में आपने गहरी रुचि दिखाई हैं । इस विषय पर अंतिम निर्णय के बारे में आपको यथासमय सूचित कर दिया जाएगा ।

निदेशक
(समुद्री अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रम)
महासागर विकास विभाग
भारत सरकार
ब्लॉक-12, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003

महासागर विकास विभाग

(सहायता अनुदान के तहत समुद्री अनुसंधान के लिए जनशक्ति विकास कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रपत्र)

1. फाइल सं. महासागर विकास विभाग /11-एमएमडीपी/………/………/20

2. फेलोशिप का प्रकार : अनुसंधान फैलोशिप / अनुसंधान एसोसिएटशिप /आदि

II वैज्ञानिक/तकनीकी सूचना :

एस1. नाम

(क) परियोजना का पूरा नाम :

(ख) संदर्भ के लिए छोटा नाम :

एस2. मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र :

एस3. उप क्षेत्र :

एस4. समस्या का विवरण (बिंदुवार, 100 शब्दों के भीतर उल्लेख करें)

एस5. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि (बिंदुवार, 150 शब्दों के भीतर उल्लेख करें) :

एस6. उद्देश्य (बिंदुवार, 100 शब्दों के भीतर उल्लेख करें):

एस7. तर्कसंगतता (बिंदुवार, 200 शब्दों के भीतर उल्लेख करें) :

एस8. महत्ता (बिंदुवार,100 शब्दों के भीतर उल्लेख करें) :

एस9. अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति (बिंदुवार, 150 शब्दों के भीतर उल्लेख करें) :

एस10. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति (विस्तृत) और राष्ट्रीय स्थिति (पूरा ब्यौरा) :

एस11. भारत में स्थित अन्य संस्थान/ विश्वविद्यालय / संगठनों और महत्वपूर्ण विदेशी संस्था/ विश्वविद्यालय/ संगठनों में इसी प्रकार के क्षेत्रों में चल रहे कार्य का संक्षिप्त विवरण

एस12. अवधि

एस13. विशिष्ट कार्य घटक और उनकी समय सारणी (बार चार्ट पर)

एस14. नौका प्रयोग के लिए अपेक्षित समय (यदि कोई हो), प्रचालन क्षेत्र और पुराने डाटा एकत्र करने आदि के लिए प्रस्तावित समय अवधि - (ब्यौरेवार) :

IV बजट

बी1(i) ब्यौरा

(रुपये में)

क्रम सं.	मद का नाम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	उप जोड	अभ्युक्तियां
1.	फैलोशिप				
2.	म.कि.भ.				
3.	आकस्मिक व्यय				
उप जोड़					
कुल (धनराशि शब्दों में) रु.					

बी1(ii) संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन की वचनबद्धता :

डिजाइन, व्यक्तियों, माह की सं. आदि सहित जनशक्ति (वैज्ञा. एवं तकनीकी)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	कार्य	व्यक्ति-माह

बी1 (iii) अवसंरचना सुविधाएं और अन्य प्रावधान :

बी2 नौका किराए पर लेना, फील्ड डाटा एकत्र करना आदि

बी2(ii) नौका पर लगने वाला अनुमानित समय :

बी2(ii) बजट :

(रुपयों में)

क्रम सं.	मद का नाम	पहला	दूसरा	कुल	अभ्युक्तियां

बी2(iii) प्रत्येक मद के लिए औचित्य :

V व्यक्तिगत सूचना

(क) अनुसंधान फैलो, अनुसंधान एसोसिएट आदि का प्रपत्र लागू संघटकों सहित खंड-क की क्रम सं. V में दिए गए मुख्य अन्वेषण के प्रपत्र के समान है।

(ख) पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों के लिए प्रपत्र खंड-क, क्रम सं. V में दिए गए प्रपत्र के समान है ।

VI पर्यवेक्षक से प्रमाणपत्र

(विभाग के पत्र -शीर्ष पर दिया जाए)

परियोजना :

अनुसंधान फैलो का नाम :

क. हम महासागर विकास विभाग की फैलोशिप पुरस्कार की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

ख. प्रमाणित किया जाता है कि हमने वित्तीय सहायता के लिए इस या ऐसे किसी परियोजना प्रस्ताव को कहीं और प्रस्तुत नहीं किया है ।

ग. प्रमाणित किया जाता है कि हमनें यह पता लगाया और सुनिश्चित किया है कि परियोजना के प्रयोजन से जब भी जरुरत होगी, उपकरण और मूलभूत सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध की जाएगी । प्रमाणित किया जाता है कि इन मदों की प्राप्ति के लिए इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के किसी अनुरोध का अनुमान नहीं लगाया गया था ।

घ. हमनें निम्नलिखित सामग्री संलग्न कर दी है : **(क) संस्था प्रमुख का पृष्ठांकन, (ख) प्रस्तावों का ब्यौरा (ग) विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र (घ) खंड ख की क्रम सं. III और क्रम सं. IV की छ: प्रतियां, और (ङ) संस्थान/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त संगठन का प्रमाण पत्र**

1. पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

2. पहले सह पर्यवेक्षक का नाम और हस्ताक्षर

3. दूसरे सह-अन्वेषक का नाम एवं हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

VII संस्था प्रमुख का पृष्ठांकन
(सरकारी पत्र-शीर्ष पर दिया जाए)

परियोजना शीर्षक :

क. प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था/ विश्वविद्यालय/ संगठन डॉ./ श्री/श्रीमती/कुमारी…………………के पर्यवेक्षण में अनुसंधान फेलो/अनुसंधान सहायक/ अन्य के रुप में डॉ./ श्री/श्रीमती/कुमारी ……………,,, और पहले सहपर्यवेक्षक के रुप में डॉ. श्री /श्रीमती/कुमारी…………………………………………और दूसरे सह-पर्यवेक्षक के रुप में डॉ. श्री/श्रीमती/कुमारी की भागीदारी को प्रसन्नता से स्वीकार करता है और मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा अचानक काम छोड़ देने की स्थिति में (महासागर विकास विभाग को यथोचित सूचना देते हुए) सह पर्यवेक्षक परियोजना को अच्छी तरह पूरा करने की जिम्मेदारी संभालेगा ।

ख. प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान की शर्तों के अनुसार परियोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए अन्वेषकों को उपकरण, अन्य मूलभूत सुविधाएं और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं दी जाएंगी ।

ग. प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विश्वविद्यालय/संगठन परियोजना का वित्तीय और अन्य प्रबंधन संबंधी उत्तरदायित्व उठाने का आश्वासन देता है ।

घ. प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन फैलोशिप की स्वीकृति से संबंधित शर्तों का पालन करेगा ।

संस्था /संगठन प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :-

स्थान :

<u>अभ्युक्तियाँ</u>

विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत आने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं/ प्रयोगशालाओं से आने वाले अनुसंधान प्रस्तावों के संबंध में, संस्था प्रमुख को औचित्य देना होगा, जिसमें यह उल्लेख स्पष्ट रुप से किया जाएगा कि क्या अनुसंधान प्रस्ताव संस्था के सामान्य अनुसंधान कार्यकलापों के अनुरुप है और यदि नहीं तो वे वैज्ञानिक कारण जिनके आधार पर महासागर विकास विभाग द्वारा उन पर विचार किया जाना है ।

खंड -ग

दिशा - निर्देश

समुद्र विज्ञान के लिए अनुसंधान प्रस्ताव अनिवार्यत: खंड-क के प्रपत्र के अनुसार ही प्रस्तुत किए जाने चाहिएं । जनशक्ति विकास कार्यक्रम के तहत अनुसंधान कार्मिक के लिए प्रस्ताव खंड-ख के प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

1. जनशक्ति आवश्यकता :

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त अनुसंधान कर्मियों के लिए परिलब्धियों तथा अन्य सेवा शर्तों संबंधी दिशानिर्देश :

(क) परिलब्धियां अर्हता, अनुभव, चयन विधि आदि

यदि कार्यक्रमों में अनुसंधान फैलों से उच्चतर स्तर के अनुसंधान कर्मियों को नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो वित्त पोषण एर्जेंसी को ऐसी आवश्यकता स्वीकार करनी होगी । इन कर्मियों का पारिश्रमिक निम्नलिखितानुसार निर्धारित किया जा सकता है ।

1. अनुसंधान वैज्ञानिक :

अनुसंधान वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियों और अनुभव के आधार पर निम्नलिखित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे :

	वेतनमान	अर्हता	अनुभव	अधिकतम आयु (वर्ष)	चयन विधि
1	रु. 8000-275-13500	डाक्टरेट डिग्री	डाक्टरेट के पश्चात 2 वर्ष का अनुसंधान	55	मेजबान संस्थानों के नियमों के अनुसार
2	रु.10000- 325-15,200	-वही-	डाक्टरेट के पश्चात 5 वर्ष का अनुसंधान		--वही--
3	रु.12000-375-16500	-वही-	डाक्टरेट के पश्चात 10 वर्ष का अनुसंधान		--वही--

ये वेतनमान केवल विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को ही दिए जाएंगे और चयन, उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाना चाहिए ।

2. अनुसंधान एसोसिएट

अनुसंधान एसोसिएट का वेतन उनकी अर्हताओं और अनुभव को देखते हुए नीचे दिए गए 3 स्तरों के भीतर एक समेकित राशि पर नियत किया जा सकता है (3 वर्ष के अनुसंधान/ शिक्षण/ डिजाइन और विकास अनुभव के साथ विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग विषयों में, पीएचडी/एमडी/एमडीएस और एमवी विज्ञान/ एम.फार्मा. / यांत्रिक इंजीनियरिंग / एम टैक या समकक्ष)

श्रेणी	वेतनमान	अर्हता	अनुभव	अधिकतम आयु (वर्ष)	चयन की विधि
आरए-I	रु. 11,000 निर्धारित	डाक्टरेट डिग्री	डॉक्टरेट के पश्चात 2 वर्ष का अनुसंधान	45 (पुरुष) 55 (महिला)	मेजबान संस्था के नियमानुसार
आरए-II	रु. 11,500 निर्धारित	-वही-	डॉक्टरेट के पश्चात 5 वर्ष का अनुसंधान		
आरए-III	रु. 12,000 निर्धारित	-वही-	डॉक्टरेट के पश्चात 10 वर्ष का अनुसंधान		

3) कनिष्ठ अनुसंधान फैलो (जेआरएफ)/: वरिष्ठ अनुसंधान फेलो (एसआरएफ)

क्रम सं.	अर्हता	अधिकतम आयु (वर्ष)	चयन की विधि	जेआरएफ पहला एवं दूसरा वर्ष	जेआरएफ अनुवर्ती वर्ष/ एस आरएफ
क	इंजीनियरिंग विषयों में स्नातक की डिग्री एवं विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री	पहले और दूसरे वर्ष में 28 और तीसरे वर्ष में 30 तथा उत्कृष्टता वाले मामलों में छूट दी जा सकती है।	जीएटीई परीक्षा	8,000	9,000
ख	चिकित्सा और इंजीनियरिंग विषयों में एमबीबीएस / बीडीएस / एमवी विज्ञान/एम. फार्मा, एक यांत्रिक इंजीनियरिंग, एम टैक या समकक्ष, और इंजीनियरी स्नातक / बी टेक, बीवी विज्ञान, बी फार्मा या समकक्ष और साथ में 2 वर्ष का अनुभव		जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की परीक्षा उतीर्ण कर ली है या इस खंड की क्रम सं. (ख) के अनुसार अर्हता प्राप्त है।	9,500	10,000

4) तकनीकी सहायक/ लैब सहायक/ लैब तकनीशियन / अनुसंधान सहायक

अर्हता	अनुभव	अधिकतम आयु (वर्षों में)	चयन विधि	परिलब्धियां
संबंधित क्षेत्र में डिग्री / डिप्लोमा	मेजबान संस्था के नियमों के अनुसार	मेजबान संस्थान के नियमों के अनुसार	मेजबान संस्था के नियमों के अनुसार	4000 रुपए + 500 रुपए मकान किराया भत्ता

5)फील्ड सहायक / फील्ड परिचर/ ड्राइवर

अर्हता	अनुभव	अधिकतम आयु (वर्षों में)	चयन विधि	परिलब्धियां
मेजबान संस्था के नियमों के अनुसार उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष	मेजबान संस्था के नियमों के अनुसार	मेजबान संस्थान के नियमों के अनुसार	मेजबान संस्था के नियमों के अनुसार	2500 रुपए + 500 रुपए मकान किराया भत्ता

ग चयन विधि

महासागर विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात फेलोशिप संबंधित विश्वविद्यालय/ संगठन/ संस्थाओं द्वारा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों और एक क्षेत्रीय समाचार पत्र (रोजगार समाचार इत्यादि जैसे अन्य माध्यमों के जरिए भी) में मौखिक साक्षात्कार तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व प्रकाशित की जानी चाहिए । साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र कम से कम छह सप्ताह पहले भेजे जाने चाहिए ताकि देश के विभिन्न भागों के उम्मीदवार अग्रिम रुप से यात्रा व्यवस्था कर सकें । जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, उन्हें सबसे छोटे मार्ग के द्वितीय श्रेणी के रेल किराए का भुगतान किया जाना चाहिए ।

2. संवीक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्रों को तर्कसंगत ढंग से छांटकर इनकी सूची बना ली जानी चाहिए । यह समिति महासागर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार मेजबान संस्था के प्रमुख द्वारा अनुमोदित हो । महासागर विकास विभाग के एक प्रतिनिधि सहित अंतिम चयन बोर्ड में कम से कम पांच विशेषज्ञ सदस्य हों । यह भी मेजबान संस्था प्रमुख द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । इस समिति के 70 प्रतिशत सदस्य मेजबान संस्थान से बाहर के नामित किए जाने चाहिए ।

3. मौखिक साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार से मौलिक जानकारी, अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित संगत विषयों का ज्ञान, नए विचारों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया और सृजन क्षमताओं तथा कल्पनाशक्ति से संबंधित कठिन प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जो किसी अनुसंधान कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

4. परंतु, मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करते समय, उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी चाहिए जिन्होंने यूजीसी- सीएसआईआर, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण (नेट) जैसी राष्ट्रीय लिखित परीक्षा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की "इंजीनियरिंग के लिए स्नातक उपयुक्तता परीक्षा " (गेटे) परीक्षा पास कर ली है ।

घ आरक्षण

15% तथा 7.5% फेलोशिप क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी । तथापि, यदि ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो इन्हें अनारक्षित माना जाएगा ।

ङ कार्यकाल, पात्रता और फेलोशिप/एसोशिएटशिप का क्षेत्र

फेलोशिप सामान्यत: भारत में रह रहे केवल भारत के वास्तविक नागरिकों के लिए होगी । पहली बार में यह 2 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी तथा इसे और आगे बढ़ाने के लिए कार्य निष्पादन और समिति की सिफारिश के आधार पर विचार किया जाएगा । समिति 2 वर्ष की समाप्ति पर इस परियोजना का मूल्यांकन करेगी । ये फेलोशिप समुद्र विज्ञानों / प्रौद्योगिकी तक सीमित है और ये किसी विश्वविद्यालय, आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं को प्रदान की जाएगी । इंजीनियरी विषयों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित गेट में प्राप्त रेंक पर विचार किया जाए । इस परीक्षा को इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए फेलोशिप प्रदान करने के आधार के रुप में लिया जाए ।

च) वार्षिक आकस्मिक व्यय

एमएमडीपी परियोजनाओं के अनुसंधान फेलो को 4000 रुपए प्रति वर्ष की दर से वार्षिक आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जाएगा ताकि कागज, स्टेशनरी, यात्रा जैसे विभिन्न व्ययों तथा समुद्री यात्रा कार्यक्रम पर जाने इत्यादि संबंधी खर्चे को पूरा किया जा सके ।

(छ) धनराशि जारी करना

एक वर्ष की अवधि के लिए प्रथम किस्त के अनुदान जारी करने के लिए, संस्था प्रमुख को महासागर विकास विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ।

i) चयन समिति की कार्यवाहियां ।
ii) जिस पर्यवेक्षक के अधीन अध्येता अनुसंधान कार्य करेगा उसके द्वारा अग्रेषित कार्य भार ग्रहण रिपोर्ट जो संगठन प्रमुख द्वारा विधिवत रुप से प्रतिहस्ताक्षरित हो ।
iii) फेलो से इस आशय का बंधपत्र कि वह अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रम को पूरा करेगा/करेगी।
iv) किसी अन्य संगठन से कोई छात्रवृत्ति / फैलोशिप/ अंशकालिक रोजगार/ पारिश्रमिक इत्यादि नहीं लेने का प्रमाण-पत्र ।
v) यदि मकान किराया भत्ता अपेक्षित है, तो संस्थान प्रमुख द्वारा अग्रेषित इस आशय का प्रमाण पत्र कि अध्येता के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।
vi) अंतिम माह की फेलोशिप परियोजना प्रस्ताव की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात तथा मेजबान संगठन द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा कर लिए जाने के बाद जारी की जाएगी ।
vii) बाद की किस्तें निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत जारी की जाएंगी ।
   1) संस्थान प्रमुख से निधियों की मांग
   2) संस्था प्रमुख द्वारा पुनरीक्षित विगत एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अनुसंधान कार्य की प्रगति रिपोर्ट
   3) दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, विधिवत रुप से गठित समिति अध्येता के अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा तीसरे वर्ष के लिए फेलोशिप की अवधि बढ़ाने की सिफारिश करेगी ।

ज परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना :-

अध्येता फेलोशिप की अवधि के भीतर परियोजना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करेगा । अनुसंधान परियोजना को प्रस्तुत करने के परिणाम के बारे में संस्था प्रमुख यथासमय महासागर विकास विभाग को सूचित करेंगे । महासागर विकास विभाग से वित्तीय सहायता की प्राप्ति की सूचना अध्येता को उसके द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान परियोजना में उपयुक्त रुप से देनी चाहिए ।

i) फेलोशिप /एसोशिएटशिप की प्रगति रिपोर्ट/ समाप्ति

1) मेजबान संस्था दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अनुसंधान अध्येता द्वारा की गई प्रगति और दिए गए योगदान की तर्कसंगत समीक्षा करेगी और उस परिप्रेक्ष्य में सिफारिश करेगी कि उसकी फेलोशिप को अगले वर्ष के लिए जारी रखा जाए या नहीं ।

2) अध्येता/ सह अध्येता से स्थिति के अनुसार पीएलएस के माध्यम से महासागर विकास विभाग को एक छमाही कार्यक्रम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । मूल सूची और अनुसंधान कार्य में अध्येता की पहल के बारे में विभाग के पर्यवेक्षक प्रमुख द्वारा एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । महासागर विकास विभाग भी अध्येता/ सह अध्येता के कार्य की अपने अधिकारियों/ विशेषज्ञों के माध्यम से समीक्षा करेगा।

3) महासागर विकास विभाग यदि कार्य की प्रगति से संतुष्ट नहीं है तो विभाग को बिना किसी सूचना के किसी भी अध्येता / सह अध्येता की फेलोशिप/ एसोसिएटशिप को समाप्त करने का अधिकार है ।

झ) मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता :

जेआरएफ /एसआरएफ और अनुसंधान एसोसिएट मंहगाई भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ते के हकदार नहीं हैं । तथापि अनुसंधान वैज्ञानिक केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार मंहगाई भत्ते के लिए तथा जहां वे कार्यरत हैं उस मेजबान संस्था के नियमों के अनुसार नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र हैं ।

ञ) छुट्टी और अन्य सेवा लाभ :

जेआरएफ/एसआरएफ केवल आकस्मिक अवकाश के पात्र हैं जबकि अनुसंधान एसोसिएट / वैज्ञानिक संस्थाओं के नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे । तथापि, इनमें से किसी भी श्रेणी में किसी वैज्ञानिक आयोजन में भारत अथवा विदेश में सहभागिता ड्यूटी पर होने के रुप में मानी जाएगी । भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रसूति छुट्टी सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगी ।

ट) मकान किराया भत्ता और चिकित्सा लाभ :

परियोजना के अधीन नियुक्त सभी श्रेणियों के स्टाफ/ जिस संस्था में वे कार्य करते हैं, उस संस्था के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता और चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे । इस प्रयोजन के लिए, अनुसंधान अध्येताओं और अनुसंधान एसोसिएट के लिए फेलोशिप की राशि को मूल वेतन माना जाएगा । अनुसंधान अध्येताओं/ अनुसंधान एसोसिएट के लिए मकान किराया भत्ता, संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित स्थानीय दरों पर स्वीकार्य होगा ।

ठ) बोनस और छुट्टी यात्रा रियायत

किसी श्रेणी के लिए स्वीकार्य नहीं ।

ड) सेवा निवृत्ति लाभ

ये लाभ अनुसंधान अध्येता और अनुसंधान एसोसिएट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है किसी नियमित वेतनमान में परियोजना अवधि के लिए नियुक्त किए गए अनुसंधान वैज्ञानिकों को संस्था की अंशदायी भविष्यनिधि के सदस्य बनने की अनुमति दी जा सकती है।

ढ़) मेजबान संस्थाओं के लिए लाभ

ढांचागत सुविधाओं सहित ऊपरी खर्चों के लिए लागतों को पूरा करने के लिए,

क) शैक्षिक संस्थाओं के लिए 5 लाख रुपए की ऊपरी सीमा के साथ कुल परियोजना लागत (उपकरण को छोड़कर) की 20 प्रतिशत धनराशि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियों/

विभागों के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं और संस्थानों के लिए 3 लाख रुपए परियोजना के एक भाग के रुप में प्रदान किए जाएंगे और

ख) 50 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर, धनराशि की मात्रा अलग-अलग मामले के आधार पर तय की जाएगी ।

II चयन के लिए मानदंड

यह परियोजना, जहां कहीं संभव हो वरीयता क्षेत्रों, सीधे समुद्र विज्ञान से जुड़े इनके उद्देश्यों संबंधी कतिपय मूल मानदंडों को पूरा करने, संस्था/विश्वविद्यालय/संगठन में उपलब्ध कार्यप्रणाली और सामर्थ्य इत्यादि के आधार पर अनुमोदित की जाएगी । सभी श्रेणियों की समस्त जनशक्ति विकास फेलोशिप परियोजनाओं के आधार पर प्रदान की जाएगी । इन्हें निम्नलिखित आधार पर चुना जाएगा ।

क) जो सीधे समुद्री संसाधनों के सतत दोहन से जुड़े अनुप्रयोगोन्मुख हों । इन परियोजनाओं से ऐसे परिणाम आने की आशा हो जिन्हें दोहराया जा सके और समाज संबंधी कार्यकलापों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जिनका उपयोग किया जा सके ।

ख) ऐसी जानकारी तैयार करने में सक्षम हों जो अभिनव परिवर्तन और विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के विकास के लिए पथ-प्रदर्शन कर सके ।

ग) तात्कालिक समस्याओं, विशेष रुप से समुद्री संसाधनों पर अमिट प्रभाव डालने वाली समस्याओं, का समाधान करने वाली हो।

घ)उन संस्थाओं जिनमें इस प्रकार के कार्य के लिए एक निर्धारित अवशोषित क्षमता हो, में विशेषज्ञता का निर्माण (उपकरण और अवसंरचना के अलावा) करने में सहायक हो ।

ङ) प्रतिभा और अभिनव परिवर्तनकारी विचारों को प्रेरित करने वाली हो ।

च) ऐसा ज्ञान मुहैया कराए जो अन्य कार्यक्रमों द्वारा सृजित नहीं किया जा सकता अथवा जो ऐसे ज्ञान की संपूरक हो और जो किसी भी वित्त पोषण करने वाली एजेंसी के कार्यक्रमों से अतिव्याप्त नहीं हो ।

छ) समुद्री अनुसंधान के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने को प्रेरित करे ।

ज) समयबद्ध परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो ।

यह मानदंड निर्देशक के रुप में है और प्रत्येक परियोजना के लिए इसका प्रयोग कभी-कभी परस्पर विरोधी अपेक्षाओं के बीच सामंजस्य बनाने के आवश्यकता को समझ कर किया जाएगा तथा इसका मूल लक्ष्य उच्चतम गुणवत्ता और क्षमता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना है ।

III शर्तें

क) प्रधान अन्वेषक (पीआई) अनुसंधान संस्थाओं / विश्वविद्यालय/ प्रयोगशाला/ संगठन का कोई स्थायी कर्मचारी होगा और उसे प्रस्तावित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान तथा पूर्व अनुभव होना अपेक्षित है। परियोजना के लिए अपेक्षित आवास, अवसंरचना इत्यादि के रुप में सभी मूल सुविधाएं, संगठन द्वारा मुहैया कराई जाएंगी । सह अन्वेषक (या कोई अन्य अन्वेषक) जो परियोजना से जुड़ा हुआ है तथा कोई वेतन नहीं ले रहा है , उसे भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकृत निधि से भुगतान किया जाएगा ।

ख) परियोजना एक विशिष्ट अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी तथा प्रथम वर्ष का अनुदान जारी किया जाएगा । परियोजना को आरम्भ करने की तिथि संस्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि होगी । निधियों की बाद की किस्त केवल वित्तीय विवरण, निर्धारित प्रपत्रों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जारी की जाएंगी जो परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन के साथ भेजे जाएंगे ।

नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी द्वारा फार्म जीएफआर-19 में एक पृथक रजिस्टर में खातों का रख-रखाव किया जाएगा । इस खाते की लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जानी चाहिए । यदि यह उपयुक्त पाया जाता है कि अनुदान की कुछ अथवा संपूर्ण राशि को ब्याज देने वाले बैंक खाते में रखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की सूचना महासागर विकास विभाग को दी जानी चाहिए । इसे संस्था/ विश्वविद्यालय संगठन के नामे खाते में जमा माना जाएगा तथा अनुदान की बाद में जारी की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाएगा । अनुदान से संबंधित खातों का अंतिम लेखा-परीक्षित विवरण परियोजना की समाप्ति/ पूर्ण होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा । साथ ही लेखा-परीक्षित खाते प्रस्तुत किए जाएंगे तथा अप्रयुक्त शेष धनराशि यदि कोई हो, महासागर विकास विभाग को लौटा दी जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने विवेक से महासागर विकास विभाग से प्राप्त अनुदानों के लिए संस्था/ विश्वविद्यालय संगठन की बहियों और लेखा- परीक्षाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

ग) इस दस्तावेज के क्रमश: समुद्री अनुसंधान परियोजना और समुद्री जनशक्ति विकास कार्यक्रमों के लिए बजट अनुमान खंड क क्र.सं. IV और खंड ख क्र.सं. IV की विभिन्न बजटीय मद के लिए निधियों के आबंटन का कड़ाई से पालन किया जाएगा । प्रत्येक शीर्ष के लिए संस्वीकृत धनराशि से रकम खर्च करने में कोई विचलन अथवा समय समाप्ति के पश्चात खर्च विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाना चाहिए । कोई भी राशि विभाग की पूर्व अनुमति के बिना एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अंतरित नहीं की जा सकती ।

घ) संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन को समान परियोजना के लिए किसी अन्य संगठन (सरकारी/ अर्धसरकारी/स्वायत्तशासी या निजी) से निधि मांगने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है ।

ङ) अनुसंधान एसोसिएट/ फेलो और तकनीकी सहायक स्टाफ अर्थात् तकनीशियन, यंत्रीकरण मेकेनीक इत्यादि पहले वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं । भुगतान मासिक आधार पर अथवा एकमुश्त किया जा सकता है । तथापि, प्रधान अन्वेषक परियोजना के उन कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश संस्था के नियमों के अनुसार इस परियोजना के लिए विधिवत रुप से गठित नियुक्ति समिति द्वारा की गई है । अनुसंधान स्टाफ की भर्ती और भुगतान इस दस्तावेज के खंड ग(1) में जनशक्ति भर्ती के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे । कार्यक्रम में यदि जेआरएफ/ आरएएस से उच्चतर स्तर पर अनुसंधान कार्मिक की नियुक्ति करने की आवश्यकता है तो ऐसी आवश्यकता वित्त पोषण करने वाली एजेंसी द्वारा स्वीकार की जानी होगी और ऐसे कार्मिक के लिए पारिश्रमिक इस खंड के क्र.सं. 1(i)(क) में निर्दिष्ट किए अनुसार निर्धारित किया जाए । इस परियोजना के तहत नियुक्त परियोजना स्टाफ प्रशासनिक नियंत्रण और सेवा नियमों के प्रयोजन के लिए संस्था नियमों द्वारा प्रशासित होगा । यदि परियोजना के लिए कोई स्टाफ स्वीकृत है, तो संस्वीकृति आदेश जारी होने के 90 दिन के भीतर भर्ती किया जाना चाहिए । परियोजना स्टाफ को महासागर विकास विभाग के कर्मचारी के रुप में नहीं माना जाएगा । परियोजना के पूर्ण होने / अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसे स्टाफ की तैनाती करना महासागर विकास विभाग का कार्य / उत्तरदायित्व नहीं है ।

च) प्रधान अन्वेषक इस परियोजना की संपूर्ण अवधि के दौरान परियोजना प्रगति की रिपोर्ट की 3 प्रतियां प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह तक प्रस्तुत करेगा । समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेल का प्रबंधन बोर्ड कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगा और परियोजना के परिणामों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगा । परियोजना की निष्पादन अवधि के दौरान ,

मेजबान संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन निरीक्षण/समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों की समिति को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ।

छ) समुद्र से नमूनों को एकत्रित करने इत्यादि के लिए जहाज पर रहने के समय की लागत और कोई अन्य व्यय जिसे किसी विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षाओं के आधार पर उपयुक्त समझा जाता है, अन्य लागतों के अंतर्गत शमिल किया जाए । प्रत्येक मद के लिए उपयुक्त औचित्य दिया जाए।

ज) देश में की जाने वाली यात्रा को परियोजना से संबंधित वैज्ञानिक सम्मेलनों /संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं इत्यादि की सहभागिता में शामिल किया जा सकता है । परियोजना निधियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के खर्च की अनुमति नहीं है ।

झ) आसपास उपलब्ध न हो ऐसे उपकरण तथा प्रयोगशाला आपूर्ति के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं तथा कम्प्यूटर से संबंधित मदों इत्यादि की लागत का प्रस्ताव पेश किया जाए । तथापि, उपकरण का आर्डर 90 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए ।

ञ) पुस्तकों और फर्नीचर इत्यादि सहित पूर्ण रुप से अथवा मुख्यत: अनुदान से प्राप्त स्थायी/ स्थायीवत् परिसंपत्तियों का निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर के रुप में लेखा-परीक्षित रिकार्ड (जिसे परियोजना के अनुमोदन के समय दिया जाएगा) रखा जाएगा । संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन द्वारा रिकार्ड के प्रयोजन के लिए यह रिकार्ड रखा जाएगा । परिसंपत्ति शब्द का आशय (i) अचल संपत्ति या (ii) पूंजीगत स्वरुप वाली ऐसी चल संपत्ति से है जिसका मूल्य 10,000/- रुपए से अधिक हो । तथापि, अनुदान का किसी भवन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

त) परियोजना निधियों से उपार्जित और निर्मित उपकरण, प्रोटोटाइप आदि सहित सभी परिसंपत्तियां महासागर विकास विभाग की संपत्ति होगी । वे संबंधित संस्था/ विश्वविद्यालय संगठन के स्वामित्व में रहेंगी जब तक कि महासागर विकास विभाग द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जाएं । इन्हें उस प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए बेचा या ऋणग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिस प्रयोजन के लिए परियोजना अवधि के दौरान अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

थ) परियोजना की समाप्ति पर महासागर विकास विभाग परियोजना वित्त पोषण के अंतर्गत उपार्जित परिसंपत्तियों के बारे में निर्णय लेगा । महासागर विकास विभाग यदि उपयुक्त समझे तो अपने विवेकाधिकार से परिसंपत्तियां संस्था को दे सकता है । महासागर विकास विभाग की परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री आगमों से प्राप्त राशि भारत सरकार के खातों में डाली जाएगी । तथापि, संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन इस विभाग की इच्छा के अनुसार परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य स्थानों पर उनके स्थानांतरण के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करेंगे ।

द) इस अनुसंधान कार्य से प्रकाशन के लिए निकलने वाले दस्तावेज (कुछ भी) अनुमोदन के लिए विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे । प्रकाशित दस्तावेज जारी होने के तत्काल बाद तीन प्रतियों में विभाग को भेजे जाएंगे ।

ध) संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन महासागर विकास विभाग की इच्छानुसार किसी भी समय परियोजना के उत्पादों से संबंधित सभी आरेख प्रस्तुत करेगा । परियोजना से प्राप्त जानकारी अथवा जानकारी की बिक्री द्वारा प्राप्त राशि, रायल्टी इत्यादि महासागर विकास विभाग की संपत्ति होगी । महासागर विकास विभाग अपने विवेक से इस प्रकार प्राप्त राशि के किसी भाग को संगठन द्वारा रखे जाने की अनुमति दे सकता है । तथापि, जानकारी की बिक्री , संकलन और रायल्टी की दर तय करना इत्यादि के बारे में महासागर विकास विभाग निर्णय लेगा ।

न) प्रधान अन्वेषक जिसके लिए यह परियोजना स्वीकृत की गई है, के परिवर्तन की स्थिति में, प्रधान अन्वेषक परियोजना की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट तथा खाते प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें प्रथम सह अन्वेषक को सौंपेगा जो संगठन और महासागर विकास विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात प्रधान अन्वेषक होगा ।

प) यदि संगठन कार्य को निष्पादित या पूर्ण करने में असमर्थ है तो अनुदान के रुप में प्राप्त संपूर्ण राशि दंडस्वरुप ब्याज के साथ महासागर विकास विभाग को लौटा दी जाएगी । ऐसे मामले में संगठन कार्यान्वयन के लिए किसी अन्य संस्था/ विश्वविद्यालय/संगठन / केन्द्र को यह कार्य नहीं सौंपेगा ।

फ) यदि विभाग को यह विश्वास हो जाए कि परियोजना अनुदान का समुचित रुप से उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा कार्य में मानदंडों के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है तो विभाग किसी भी स्तर पर अनुदान को समाप्त कर देगा ।

ब) संगठन, संस्वीकृत अवधि के भीतर महासागर विकास विभाग को परियोजना के परिणाम संबंधी विस्तृत रिपोर्ट की 10 प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

भ) जिन मामलों में अनुदान संबंधी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन हो रहा है, संगठन बंद हो गया है या समाप्त हो गया है उनमें महासागर विकास विभाग, संगठन की सभी परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लेगा तथा ऐसे किसी भी तरीके से उनका उपयोग करेगा जिसे वह उपयुक्त समझे या संगठन से चुकता किए जाने वाले ब्याज सहित परियोजना के कुल मूल्य की सीमा तक राशि वसूल करेगा ।

Annexure I

क्रम सं.	नाम	पते सहित ओएसटीसी की विशेषज्ञता का क्षेत्र	फैक्स नं.	टेलिफोन (कार्यालय)	टेलिफोन (आवास)	ई-मेल का पता
1	डा. के.सी साहू	समुद्र तटीय पारिस्थितिकी - पूर्वी तट , बहरामपुर विश्वविद्यालय, भांजा बिहार, बहरामपुर -760007	(0680) 2243322 2242650	2242172 2242174		ostcec@bu.ori.nic.in
2	डा. ए.जे जोशी	समुद्री तटीय पारिस्थितिकी - पश्चिमी तट, जीव आयुर्विज्ञान विभाग, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर- 364 002.	(0278) 2519824 2426706	2430002 2430006 2430007	2430657	
3	डा. सी.कृष्णैया	समुद्री भूविज्ञान और भूभौतिकी, समुद्री भूविज्ञान विभाग, मंगलौर- 574 199	(0824) 2287754	2288043 2287389	2289226	ostcmgg@yahoo.co.in Ccksam@rediffmail.com
4	प्रो.के.सुजाता	तटीय समुद्री संवर्धन तंत्र, समुद्री सजीव संसाधन विभाग, आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम- 530 003	(0891) 2755547 2755324	2844735	2562083	
5	डॉ. एस.भोसले	समुद्री सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, गोवा विश्वविद्यालय , गोवा - 403 206	(0832) 2451569	2451569	2449214	sarojbhosle@yahoo.co.in
6	डॉ.एस. प्रेमा	बीच प्लेसर्स, तमिल विश्वविद्यालय , तंजावूर-613005	(04362) 227040	227228	250909	drsprem@sify.com
7	डॉ. टी. बालासुब्रमणियन	समुद्री जीव विज्ञान , उच्च अध्यययन केन्द्र, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदंबरम	(04144) 243555	253089	230214	stbcas@eth.net
8	डॉ. ए.वी.साराम्मा	समुद्री नितलस्थ प्राणी, समुद्री आयुर्विज्ञान पीठ, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ललित कला एवेन्यू, कोच्चि- 682 016	(0484) 2363055	2363055	2536789	saramma@cusat.ac.in rd.cusat.ac.in
9	डॉ. देवव्रत सेन	समुद्री इंजीनियरी अंतर्जल रोबोटिक्स, समुद्री इंजीनियरी और नौवहन वास्तुकला विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , खड़गपुर- 721 302	(03222) 255303, 282284	283786, 220144		deb@naval.iitkgp.ernet.in